भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3738

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है।)

संघीय कर दरों में राज्यों का हिस्सा

3738 **.श्री वी.के.श्रीकंदन:**

सुश्री एस.जोतिमणि:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों से प्राप्त संघीय कर राजस्व में कटौती करना चाह रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार यह सिफारिश कर सकती है कि इस हिस्से को वर्तमान में 41 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाए;

(ग) क्या वर्तमान वर्ष के लिए अनुमानित कर संग्रह के आधार पर कर राजस्व में राज्यों के हिस्से में 1 प्रतिशत के परिवर्तन से सरकार को लगभग 350 बिलियन रूपये मिलेंगे;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई विचार-विमर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ड़) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इस कटौती का राज्यों के राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो राज्यों को उनके राजस्व के नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क से ड़): संविधान के अनुच्छेद 280(3)(क) के अनुसार, वित्त आयोग को करों की निवल आय के संघ और राज्यों के बीच वितरण और ऐसी आय से संबंधित हिस्से को राज्यों के बीच आबंटन के संबंध में सिफारिशें करने का अधिदेश प्राप्त है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श करता है, जिसमें अन्य के अलावा, संघ और राज्य सरकारें शामिल हैं। यह संघ और राज्यों की संसाधन संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करते समय विभिन्न संकेतकों की भी जांच करता है। 16वें वित्त आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

***